

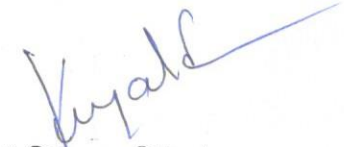
कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०

संख्या-एमई-3/2023/ 813

लखनऊ:दिनांक: 10.04.2023

विज्ञप्ति

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/एम०डी०/एम०एस०/डिप्लोमा/एम०डी०एस०) के शुल्क निर्धारण हेतु फीस नियमन समिति के सहयोगार्थ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नामित किया जाना है। नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव तैयार कर शासन/महानिदेशालय स्तर पर आहूत बैठको में प्रतिभाग करना तथा मा० न्यायालयों में फीस निर्धारण के संबंध में दायर वादों की स्थिति स्पष्ट/अनुश्रवण किया जायेगा। नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का कार्यालय लखनऊ में हो एवं क्रियाशील होना अनिवार्य है। ऐसे इच्छुक सी०ए०जी० इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अपना बायोडाटा/प्रस्ताव/कोटेशन सुसंगत अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 17.4.2023 को अपरान्ह 2.00 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।


(किजल सिंह)
महानिदेशक।